# फर्द अहकाम

**कार्यालयः–** न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

**अपीलार्थीः–** सरकार बनाम लक्ष्मीलाल

**किस्म मुकदमाः–** आ.नि. **पत्रावली संख्याः–** 06/19 सनः– 2019

| कमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएँ जारी की गई। |
|---|---|---|
| | 14.03.2022 | |

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त हुआ। प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या अपील/एल.आर/7135/2019 अनवान लक्ष्मीनारायण बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 07.04.2021 से न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 23.05.2017 एवं न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के प्र.सं. 48/18 के निर्णय दिनांक 30.09.2019 का निरस्त कर दिया गया है एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.04.2021 से विपक्षी लक्ष्मीलाल पुत्र श्री घासीलाल महाजन को आवंटित भूमि यथावत रखते हुए आवंटन आदेश की पालना में अपीलार्थी के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख के इन्द्राज को बहाल रखा गया है।

ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अब कोई कार्यवाही न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की पालना में नहीं की जानी है। अतः प्रकरण की कार्यवाही को इसी स्तर पर बंद किया जाता है।

प्रकरण फैसल शुमार हो।

(तारा चंद मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:55 IST
Reason: SelfAttested